न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मवाना, मेरठ।

सी.एन.आर. नं. यू.पी.एम.ई-1200017802026
जमानत प्रा0पत्र सं0 432/2026

सरकार **बनाम** श्री प्रतीक कुमार
मु.अ.स. 289/2018
धारा 380,411 भा.द.स.
थाना–मवाना, जिला –मेरठ।

दिनांकः–12..08.2026:– अभियुक्त साहिल उर्फ भूरा पुत्र हासिम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–289/2018, अन्तर्गत धारा 380,411 भा.द.स.. थाना मवाना जिला मेरठ के प्रकरण में द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया ।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है ।

अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अभियुक्त निर्दोष है,उसे झूठां व रंजिशन फॅसाया गया है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर है। इस प्रकरण में अजमानतीय वारंट के अनुक्रम में गिरफतार किया गया है। अभियुक्त सम्भ्रांत परिवार का व्यक्ति है तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने के लिए तैयार है। अतः अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया। प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पूर्व मे इस प्रकरण मे जमानत पर है तथा अब एन.बी.डब्लू. के अनुपालन मे दि0 05.08.2026 जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियो मे जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त साहिल उर्फ भूरा पुत्र हासिम का द्वितीय जमानत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को उसके द्वारा 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की एक प्रतिभू पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

। प्रशान्त मौर्य ।
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मवाना, मेरठ।
I.D.No.UP.3377